



केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण **Central Adoption Resource Authority**



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Women & Child Development, Government of India

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त (LFA) करना

अनाथ / परित्यक्त बच्चा

(Orphan / Abandoned Child)

(धारा 31, 32, 36 और 38; नियम 19 और विनियम 6)

"अनाथ" (Orphan) से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है – (i) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या (ii) जिसके विधिक संरक्षक उसकी देखरेख करने के इच्छुक नहीं हैं, या देखरेख करने में सक्षम नहीं है [धारा 2 (42)]

"परित्यक्त" (Abandoned) बालक से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है जिसे उसके जैविक या दत्तक माता-पिता या संरक्षक द्वारा छोड़ दिया गया है तथा उचित जांच के बाद समिति द्वारा उसे परित्यक्त घोषित किया गया है। [धारा 2 (1)]

01

जिस बच्चे को देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता (CNCP) है, उसे धारा 31(1) में उल्लिखित अधिकारियों / पदाधिकारियों / व्यक्तियों द्वारा 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। (फार्म 17)। इसके अतिरिक्त, इसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में प्रस्तुत किया जाना।

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) या बाल देखरेख संस्था (CCI) को अंतरिम 02

03

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा 15 दिनों के भीतर सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार और जमा करने का कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता / केस वर्कर / बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना (फॉर्म 22)।

बालक का विवरण 3 दिनों के भीतर विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 04 अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर अपलोड किया जाना ।

जैविक माता-पिता / विधिक संरक्षकों का पता लगाना :-

देखरेख / अल्पकालिक व्यवस्था (प्लेसमेंट) का आदेश जारी करना (फॉर्म 18)।

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) को 3 दिनों के भीतर उस स्थान के राष्ट्रीय समाचार पत्र में बच्चे के विवरण / तस्वीरों को प्रकाशित करने का निर्देश देना, जहां से बच्चा पाया गया था। यदि बच्चा किसी अन्य राज्य से है, तो प्रकाशन बच्चे के ज्ञात मूल स्थान में वहाँ की स्थानीय भाषा में किया जाएगा। इसके साथ ही विवरण को "ट्रैक चाइल्ड या खोया पाया पोर्टल" पर अपलोड किया जाएगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा बच्चे को प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) को ख)

05

रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ग) बच्चे को प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बाल देखरेख संस्था (CCI)/ विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें अंतरिम देखरेख के दौरान बालक द्वारा साझा की गई जानकारी के साथ-साथ उन व्यक्तियों का विवरण भी शामिल होगा जिन्होंने बच्चे को लेने के लिए संपर्क किया था। (बड़े बच्चे के मामले में, यदि बच्चा कोई जानकारी साझा करता है तो उस स्थान पर स्पॉट विजिट किया जाना)

घ) यदि जैविक माता-पिता का पता लगाने की रिपोर्ट निम्नलिखित अवधि में पुलिस से प्राप्त नहीं होती है तो 'माता-पिता को पता

न लगने योग्य' समझा जाएगा:

(i) बच्चा 0 −2 वर्ष = 2 महीने (ii) 2 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा = 4 महीने

बिंदु 5 (घ) में उल्लिखित निर्धारित समय—सीमा की समाप्ति के बाद 3 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को दत्तक-ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना। (अनुसूची 1)

. . .

सहोदर / जुड़वाँ बच्चों के सम्बन्ध में बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा एक ही आदेश जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे से संबंधित जाँच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता–पिता के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं की जाएगी- [धारा 38 (1)]

अभिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

'धारा' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथासंशोधित 2021) से है। 'नियम' का संबंध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 (यथासंशोधित 2022) से है। 'विनियम' का संबंध दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 से है।

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India) कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)] CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)] ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in





केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण **Central Adoption Resource Authority**



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Women & Child Development, Government of India

CHILD LEGALLY FREE FOR ADOPTION (LFA) BY CWC

ORPHAN/ ABANDONED CHILD

(Section 31, 32, 36 & 38; Rule 19 and Regulation 6)

"Orphan" means a child— (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian; or (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child [Section 2(42)]

"Abandoned Child" means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee after due inquiry [Section 2(1)]

Production of child in need to care and protection (CNCP) before CWC within 24 hrs. by 01officials / officer bearers /individuals mentioned in Section 31 (1) [Form 17]. Additionally,

copy of the report to be submitted before local police station within 24 hrs.

Interim care/short term placement order by CWC either to a SAA or a CCI [Form 18]

CWC to assign a Social Worker/Case Worker/Child Welfare Officer to conduct and submit the 03 Social Investigation Report within 15 days (Form 22)

Details of the child to be uploaded on the Designated Portal by SAA/DCPU within 3 Days.

04

Tracing out the biological parents/legal guardians

CWC to direct DCPU to advertise the particulars/photographs of the child in national newspaper where the child was found within 3 days. In case child is from another State, the publication shall be done in the known place of origin of the child in local language. Simultaneously, the data to be uploaded on Track Child or Khoya Paya portal.

- DCPU to submit a report to CWC within 30 days from the date of production of the child.
- CCI/SAA to submit report to CWC within 30 days from the date of production comprising of information shared by the child during the interim care along with details of persons who approached to claim the child. (In case of older child, spot visit to be done to the place, if child shares any details)
- Non-receipt of report from the local police regarding the traceability of biological parents as per d) the specifications given below shall be deemed non-traceable:

i. Child 0 - 2 years = 2 months ii. Child above 2 years = 4 months

Declaring the child legally free for adoption (Schedule I) by CWC within 3 days after the expiration of stipulated timeline referred in point 5 (d)



Single order to be passed by CWC in case of siblings/twins.

It may be noted that no First Information Report (FIR) shall be registered against any biological parent in the process of inquiry related to abandoned or surrendered child. [Section 38 (1)]

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CWC: Child Welfare Committee | SAA: Specialised Adoption Agency | DCPU: District Child Protection Unit CCI: Child Care Institution | CWC: Child Welfare Committee

'Sections' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (amended in 2021);

'Rules' related to Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 (amended in 2022);

'Regulations' related to Adoption Regulations 2022